न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 22/2014

अनवान

1. मौहम्मद हुसैन पुत्र चान्द खॉ
2. राजदार उर्फ राजू खॉ पुत्र चान्द खॉ
3. कयूमनूर पुत्र चान्द खॉ

समस्त निवासीगण रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सत्तारखॉ पुत्र सिकन्दरखॉ
2. सेठूखॉ पुत्र सिकन्दरखॉ
3. मुन्नाखॉ पुत्र सिकन्दरखॉ
4. अबदलखॉ पुत्र सिकन्दरखॉ
5. मोहम्मदनूर पुत्र अब्दुलगफूर
6. अब्दुलहमीद पुत्र अब्दुलगफूर
7. अयूब पुत्र लालमोहम्द
8. फकरूदीन पुत्र लालमोहम्मद
9. शेरअली पुत्र लालमोहम्मद
10. अब्दुल रसूल पुत्र नूर मोहम्मद
11. बसीर पुत्र नूरमोहम्मद
12. मदारी पुत्र अहमद खॉ

समस्त निवासीगण रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर ।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री सत्यप्रकाश कुर्डिया अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

आदेश दिनांक :– 17.11.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रसुलपुरा तहसील अजमेर के साबिक खसरा नं. 718 रकबा 1–18–00 का हाल खसरा नं0 1015 रकबा 00–12–00, खसरा नं0 1016 रकबा 00–13–00, खसरा नं0 1017 रकबा 13–00–00 जो कि जमाबन्दी (खेवट खतौनी) में अहमद खॉ, अल्लाबक्श एवं सिकन्दरखॉ के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त विवादित आराजी में अपीलान्ट्स के पिता चांद खॉ पुत्र अलाबक्श ने अपने पिता के 1/3 हिस्से के अलावा 2/3 हिस्सा अहमद खॉ का 1/3 हिस्सा उनके वारिसान अब्दुल गफूर से तथा 1/3 हिस्सा सिकन्दरखॉ से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.11.1983 द्वारा खरीद किया एवं अपने हिस्से को मिलाकर अपीलान्ट्स के पूर्वज के हिस्से की आराजी का सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया। अपीलान्ट्स के पिता चान्दखॉ द्वारा भाई ईदू खॉ के हिस्से के एवज में उन्हे अन्य आराजी खसरा नम्बर मे से दे दिया। इस संबध में कोई विवाद मौके पर नहीं है। एवं उक्त विवादित पूर्व खसरा नं0 718 का रकबा 1–18–00 बीघा के हाल नये खसरा नम्बर बने उसमें से खसरा नं0 1015 के 00–12–00 बीधा भूमि पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर काबिज चले आ रहें है। आराजी

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

वर्तमान खसरा नं0 1015 रकवा 00–12–00 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 03..06.89 अपीलान्ट्स के पिता चान्द खॉ के पक्ष में भरा गया जो सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का सही मिलान के अभाव में निरस्त कर दिया। इसी आदेश से रूष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट सं0 1 स्वयं तथा 2 से 4 एवं 5, 8, 10 से 12 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। शेष बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। रेस्पो0 सं0 2 से 4 की ओर से जवाब अपील प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि आदेश दिनांक 03.06.1989 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.03.2013 को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर दखलन्दाजी किये जाने पर हुई। प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 1.4.2013 को नकल प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण से समझाईश कर प्रकरण को निस्तारित करने का प्रयास किया जिस पर वें राजीनामा कर फैसला करने को तैयार हो गये। किन्तु दिनाक 24.06.2014 को राजीनामा के आधार पर फैसला करने से इन्कार हो गये। इस कारण प्रार्थीगण को मजबूरन अपील पेश करनी पडी। प्रार्थीगण अशिक्षित एवं काश्तकार, मजदूर होने से कानून की पर्याप्त जानकारी नहीं होने से अभिभाषक की सलाह लेकर अपील तैयार करवाई जाकर अन्दर मियाद न्यायालय में पेश कर दी। जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। अपने कथनो के समर्थन में आर.बी.जे. (6)1999 का उद्धरण उद्धत करवाया। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रसुलपुरा तहसील अजमेर के साबिक खसरा नं. 718 रकवा 1–18–00 का हाल खसरा नं0 1015 रकबा 00–12–00, खसरा नं0 1016 रकवा 00–13–00, खसरा नं0 1017 रकबा 13–00–00 जो कि जमाबन्दी (खेवट खतौनी) में अहमद खॉ, अल्लाबक्श एवं सिकन्दरखॉ के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त विवादित आराजी में अपीलान्ट्स के पिता चांद खॉ पुत्र अलाबक्श ने अपने पिता के 1/3 हिस्से के अलावा 2/3 हिस्सा अहमद खॉ का 1/3 हिस्सा उनके वारिसान अब्दुल गफूर से तथा 1/3 हिस्सा सिकन्दरखॉ से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.11. 1983 द्वारा खरीद किया एवं अपने हिस्से को मिलाकर अपीलान्ट्स के पूर्वज के हिस्से की आराजी का सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया। अपीलान्ट्स के पिता चान्दखॉ द्वारा भाई ईदू खॉ के हिस्से के एवज में उन्हे अन्य आराजी खसरा नम्बर मे से दे दिया। इस संबध में कोई विवाद मौके पर नहीं है। एवं उक्त विवादित पूर्व खसरा नं0 718 का रकवा 1–18–00 बीघा के हाल नये खसरा नम्बर बने उसमें से खसरा नं0 1015 के 00–12–00 बीधा भूमि पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर काविज चले आ रहें है। आराजी वर्तमान खसरा नं0 1015 रकबा 00–12–00 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 02..06.89 अपीलान्ट्स के पिता चान्द मोहम्मद खॉ के पक्ष में भरा गया जो सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

द्वारा खारिज कर दिया गया। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई को अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं न ही मूल रजिस्ट्री प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। इस प्रकार सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत आक्षेपित आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 3.6.1989 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 50 को जरिये मूल विकय के प्रस्तुत आदेश को बहाल रखा जावे। अपने कथनो के समर्थन में आर. बी.जे.(10)2003,पेज 12, आर.बी.जे.(4) 1997 पेज189, आर.आर.डी.1991 पेज 321, आर. बी.जे.(6)1999 पेज 158 के उद्वरण उद्धत करवाये।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपने जवाब कथनों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट्स के पिता चान्द खॉ को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तत्समय सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था। अपीलान्ट्स के पिता द्वारा मूल रजिस्ट्री पेश की गई थी, तथा नामान्तरकरण भरा गया, जिसे बाद सम्पूर्ण जाचं मुताबिक रिपोर्ट इंस्पेक्टर एवं रजिस्ट्री सही नहीं होने के कारण खारिज किया गया। अपीलान्ट्स एवं उनके पूर्वजों को प्रत्यर्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज होने की जानकारी पूर्व से ही थी। कथित आराजी पर प्रत्यर्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। विद्वान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अजमेर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण जांच एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए जाने के पश्चात ही विधि के प्रावधानों के तहत " मुताबिक रिपोर्ट इन्सपेक्टर नामान्तरकरण खारिज किया गया" के आधार पर ही आक्षेपित आदेश 03.06.1989 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमाते हुए आक्षेपित नामान्तरकरण दिनांक 03.06.1989 बहाल रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 50 बाबत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.6.1989 अपीलान्ट्स के पिता को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं मूल रजिस्ट्री की जांच किये बिना पारित किया जाना प्रतीत होता है। इसलिये उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आक्षेपीय आदेश दिनांक 03.06.1989 यथावत रखा जाना न्याय संगत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर का आक्षेपीय आदेश दिनांक 03.06.1989 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष (वर्तमान खातेदार, अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स) को समुचित रूप से साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, सभी तथ्यों का भली भांति परीक्षण कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश 30 दिवस में पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/11/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner